

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण  
(जिला-पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 2701/2016 (56/2001)

GCMS NO. : 2016/00524

-: प्रार्थी :-

बनाम

-: अप्रार्थीगण :-

1. मूर्ति भगवान चारभुजा(ना.बा.)  
जरिये पुजारी/महन्त श्री  
प्रहलाददास चैला जुगतीराम जी  
ग्राम सेवरिया तहसील- जैतारण  
जिला- पाली, राजस्थान।

1. गिरधारी पुत्र मंगला के  
का०मु०  
01/1. छोदू पुत्र गिरधारी  
01/2. भीमा पुत्र गिरधारी  
01/3. बलदेव पुत्र गिरधारी  
01/4. नैना पुत्र गिरधारी  
01/5. रामदेव पुत्र गिरधारी
2. उदा पुत्र मंगला के का०मु०  
02/1. हरजी पुत्र उदा  
02/2. कानाराम पुत्र उदा  
02/3. सतु पुत्र उदा  
02/4. पप्पुराम पुत्र उदा  
02/5. शिवली पुत्र उदा पत्नी  
भौमा
3. हरदेव पुत्र भागु के का०मु०  
03/1. नोरत पुत्र हरदेव  
03/2. प्रहलाद पुत्र हरदेव  
03/3. पांचु पुत्र हरदेव  
03/4. छोदू पुत्र हरदेव
4. भवरु पुत्र भागु के का०मु०  
04/1. देभाल पुत्र भवरु  
04/2. देवाराम पुत्र भवरु  
04/3. रामकरण पुत्र भवरु  
04/4. सतु पुत्र भवरु  
04/5. सुगरी बेवा भवरु
5. रामसुख पुत्र भागु
6. हरदेव पुत्र भागु
7. किशना पुत्र भागु
8. मांगु पुत्र भागु
9. हेमा पुत्र हीरा
10. रामा पुत्र हीरा के का०मु०  
10/1. शान्ति पत्नी  
10/2. लक्ष्मण पुत्र रामा  
10/3. कालूराम पुत्र रामा



उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर,  
जैतारण, जिला-पाली

- 10/4. नाथुराम पुत्र रामा  
 10/5. नानुराम पुत्र रामा  
 10/6. अर्जुन पुत्र रामा  
 10/7. सुआ पुत्री रामा  
 10/8. अला पुत्री रामा  
 11. अबा पुत्र हीरा  
 12. मेवा पुत्र हीरा  
 13. जीवणी बेवा थन्ना के  
 का०मु०  
 13/1. मेवा पुत्र थन्ना  
 13/2. रामेदव पुत्र थन्ना  
 जातियान- गुर्जर निवासीगण,  
 हेमड़ाई(सेवरिया) तहसील-  
 जैतारण जिला-  
 पाली(राजस्थान)।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा एवं रिसीवर नियुक्त करने बाबत अन्तर्गत धारा 212(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 40 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता  
तारीख रजु:-31.05.2001 पुनः दर्ज- 22.11.2016

उपस्थित:-

1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री देवाराम कटारिया, श्री महेन्द्र कुमार गुर्ग, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

--: निर्णय :-

दिनांक:-30/08/2022

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत इस आशय का पेश किया किग्राम सेवरिया तहसील जैतारण जिला पाली में मूर्ति भगवान की ठकुर जी चारभुजा जी का मंदिर वाके है जिसमें ठकुर जी श्री चारभुजा जी महाराज की मूर्ति प्रतिष्ठापित है जो मूर्ति भगवान श्री ठकुर जी चारभुजा जी एक एक ज्युरिस्टिक परसन वैधानिक व्यक्ति है एवं शाश्वत नाबालिग है जिनकी सेवा पूजा, भोग, आरती यज्ञ व हवन आदि की व्यवस्था पुजारी महन्त श्री प्रहलाददास चेला महन्त श्री जुगतीराम जी करते हैं व उन से पूर्व महन्त श्री जुगतीराम जी चेला श्री अमरदास जी महाराज करते थे। मूर्ति भगवान जी ठकुर जी चारभुजा जी की खातेदार एवं कब्जे काश्त की भूमि ग्राम गुड़ा हेमड़ाई तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 1658 रकबा 04-07 बीघा, खसरा नम्बर 1659 रकबा 03-16 बीघा, खसरा नम्बर 1660 रकबा 10-13 बीघा, खसरा नम्बर 1699/5 रकबा 10-11 बीघा, व खसरा नम्बर 1657 रकबा 00-15 बीघा किस्म गैरमुमकिन कुल खसरा नम्बर 5 कुल रकबा 30-07 बीघा जिसका लगान 30/- रूपयें है। यह भूमि बेरा व जाव सरहद मौजा गुड़ा हेमड़ाई तहसील जैतारण जिला पाली में वाके है जो भूमि मूर्ति श्री ठकुरजी चारभुजा जी वाके देह मंदिर सेवरिया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है उक्त भूमि के एक मात्र खातेदार काश्तकार मूर्ति श्री भगवान चारभुजा जी है व भगवान की इस भूमि में अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है तथा इस भूमि के खातेदार काश्तकार मूर्ति भगवान श्री ठकुर जी चारभुजाजी है, ऐसी घोषणा करवाने के

उपखण्ड अधिकारी एवं  
 पदेन सहायक कलक्टर,  
 जैतारण, जिला-पाली

प्रार्थी वादी अधिकारी है, इसलिए घोषणा का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण के पेश है। जमाबंदी नकल साथ पेश की जा रही है। प्रार्थी मूर्ति भगवान श्री ठाकुरजी चारभुजा की कृषि भूमि जो प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित की गयी है, जिसे इसमें आगे जमीन मुतदाविया के नाम से निर्देशित किया जावेगा, को तत्कालीन पुजारी व महन्त श्री जुगतीराम जी चेला अमरदासजी ने अप्रार्थी मंगला, भागू, छोगा, हीरा व धन्ना गुर्जर निवासीगण गुड़ा हेमड़ाई को मंदिर की ओर से हिस्से व काश्त पर काश्त करने के लिए दो थी व प्रति वर्ष अप्रार्थीगण मूर्ति भगवान श्री ठाकुरजी चारभुजा को इस भूमि से पैदा हुई फसल का हिस्सा व रकम ठाकुर जी चारभुजा के भोग, दीप, सेवा पूजा के लिए देते रहे हैं और इस दौरान राजस्व रिकॉर्ड में गलती से मूर्ति श्री ठाकुरजी चारभुजा की जमीन का इन्द्राज अप्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजो के नाम का हो गया। इस गलत इन्द्राज के आधार पर भगवान मूर्ति श्री ठाकुरजी चारभुजा की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार का कोई अधिकार अप्रार्थीगण को प्राप्त नहीं होता है व मूर्ति शाश्वत नाबालिग होने से उनकी जमीन में अप्रार्थीगण को खातेदारी के अधिकार प्राप्त होने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा नहीं होता है व अप्रार्थीगण का गलती से जमाबंदी खतौनी में काश्तकार के रूप में जो नाम दर्ज किया गया है वह एक गलत इन्द्राज है व यह जमीन शुरू से मूर्ति श्री ठाकुरजी चारभुजा की खुदकाश्त की जमीन रही है व इसके एकमात्र खातेदार काश्तकार भगवान ठाकुर जी चारभुजा जी ही है यह जमीन अप्रार्थीगण के नाम गलत रूप से इन्द्राज हुई है, जिसे हटवाया जाकर भगवान श्री ठाकुरजी चारभुजाजी के नाम दर्ज करवाने का प्रार्थी अधिकारी है। इसलिए दावा घोषणा का विरुद्ध अप्रार्थीगण को पेश है। अप्रार्थीगण की अब नियत खराब हो गयी है, अप्रार्थीगण से प्रार्थी के वर्तमान पुजारी व महन्त श्री प्रहलाददास ने इस वर्ष रबी की फसल आने पर दिनांक 29.04.2001 को मूर्ति भगवान श्री ठाकुरजी चारभुजाजी के हिस्से व पैदावार की मांग की तब सर्वप्रथम अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को उस रोज मूर्ति श्री ठाकुरजी चारभुजा जी महाराज की जमीन की पैदावार व उनका हिस्सा देने से मना कर दिया व ऐलानिया कहा कि यह जमीन हमारे यानि अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है व अब इसमें मूर्ति भगवान श्री ठाकुरजी महाराज श्री चारभुजाजी का कोई लेना देना नहीं है व इस प्रकार सर्वप्रथम मूर्ति श्री ठाकुरजी चारभुजाजी के खातेदारी अधिकारो से मना कर स्वयं को इसका खातेदार काश्तकार होना अप्रार्थीगण ने जाहिर किया व प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को इस जमीन का कब्जा तुरन्त छोड़ प्रार्थी को पुजारी व महन्त के रूप में कब्जा उक्त भूमि का सुपुर्द करने का कहने पर भी अप्रार्थीगण ने इससे स्पष्ट मना कर दिया और दिनांक 29.04.2001 इस भूमि मुतदाविया पर बतौर अतिक्रमी के काबिज है व उनका उक्त भूमि मुतदाविया पर कोई हक व अधिकारा नहीं है तथा प्रार्थी को अप्रार्थीगण को भूमि मूतदाविया से बेदखल करवा कर उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है। इसलिए दावा बेदखली व कब्जा मीन विरुद्ध अप्रार्थीगण को पेश है। प्रार्थी अप्रार्थीगण को इस जमीन से बेदखल करवा कर कब्जा प्राप्त करने के बाद उसमें काश्त करे व करावे व इससे संबंधित तमाम कार्य करे उसमें अप्रार्थीगण स्वयं उनके हाली एजेन्ट आदि को किसी प्रकार की

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर,  
संसारण, जिला-पारसी

खलन्दाजी करने का अधिकार नहीं है व यदि अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा किया गया तो प्रार्थी को असीम हानि होगी, जिसकी क्षति पूर्ति नहीं हो सकेगी। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए दावा स्थायी निषेधाज्ञा का विरुद्ध अप्रार्थीगण के पेश है। राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी के दस्तावेज व शपथ पत्र से प्रार्थी के पक्ष में मजबूत प्रथम दृष्टया मामला साबित है तथा प्रार्थी की जमीन पर वाद के अन्तिम निर्णय तक रिसिवर नियुक्त नहीं किया गया तो प्रार्थी को असीम हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से नहीं हो सकेगी। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण संख्या 1/1 से 1/5, 2/1 से 2/5, 3/1 से 3/4, 4/2 से 4/5, 10/1 से 10/8 तथा 13/1 से 13/2 को बार बार आवाजे दिलाई गईं बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थीगण संख्या 4/1, 5 से 9 तथा 11 व 12 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल है। अप्रार्थीगण संख्या 4/1 को अनेकानेक अवसर देने के बावजूद जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से जवाब प्रार्थना पत्र अवसर बंद किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 05 से 09 तथा 11 व 12 ने जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर कथन किया है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। गैरसायलान को इस बात का पता चला नहीं है कि ग्राम सेवरिया स्थित चारभुजा मंदिर की सेवा पूजा कौन करता है। ठाकुरजी चारभुजा मंदिर की पूजा अर्चना व व्यवस्था करके तथाकथित महन्त जुगतीराम या सायल प्रहलाददास को गैरसायलान कने कभी नहीं देखा। न यह लोग कभी सेवरिया में आये न रहे न सेवा पूजा की। ग्राम सेवरिया में काम से आते हैं। तब ठाकुरजी चारभुजा मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। यह मंदिर गैरसायलान के गांव गुड़ा हेमड़ाई से करीबन 10 किलोमीटर दूर स्थित है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 का जवाब है कि इस पद में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार करते हैं। प्रार्थना पत्र के इस पद में वर्णित कृषि भूमि का ग्राम गुड़ा हेमड़ाई में अवश्य स्थित है परन्तु इन खसरा नम्बरान की जमीन जाव व बेरा मूर्ति श्री ठाकुरजी चारभुजा के मंदिर की खातेदारी व कब्जेकाशत की कभी नहीं रही। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर राजा रजवाड़ो के समय से गैरसायलान और उनके पूर्वजो का ही कब्जा काशत रहा है। तथा कदीमी कब्जा काशत के आधार पर गैरसायलान के नामो की प्रविष्टि राजस्व रेकॉर्ड में भू-प्रबन्धन व समय समय पर होती रही है। पर्चा लगान व जमाबंदी में भू धारक का नाम डोली बनाम मंदिर श्री चारभुजा जी के नाम की प्रविष्टि महज एक रॉग एन्ट्री मात्र है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर सायल या मंदिर का कभी कोई कब्जा नहीं रहा। मूर्ति भगवान श्री ठाकुरजी चारभुजा के नाम की खातेदार के रूप में राजस्व रेकॉर्ड में घोषणा के जरिए प्रविष्टि कराने का सायल या राजस्थान सरकार को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। बल्कि गैरसायलान खातेदार काशतकार होने से उन्हे मूर्ति श्री ठाकुरजी चारभुजाजी के भू धारक की प्रविष्टि



अधिवक्ता/अधिवक्ता  
पदेन सहायक कलक्टर,  
जयपुर, राजस्थान

ही है। सायल ने घोषणा का प्रार्थना पत्र गलत पेश किया है जो खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 का जवाब है कि इस पद में वर्णित तमाम तथ्य गलत बेबूनियाद होने से गैरसायलान अस्वीकार करते है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक व दो में वर्णित वादग्रस्त आराजी गैरसायलान के खर्च के खातेदारी कब्जा काशत की चली आ रही है। उक्त भूमि तथाकथित तत्कालीन पुजारी व महन्त जुगतीरामजी ने गैरसायल भागु, छोगा, हिरा, धन्ना, मंगला गुर्जर को कभी भी मंदिर की ओर से हिस्से पर काशत करने के लिए नहीं दी न ऐसी कोई लिखा पढी कभी भी की गई। गैरसायलान ने ठाकुरजी चारभूजा मंदिर के भोग, दीप, सेवा पूजा के लिए कभी भी प्रति वर्ष पैदा फसल का कोई हिस्सा तथाकथित महन्त या मंदिर को दिया। वादग्रस्त आराजी गैरसायलान के स्वयं की खातेदारी के होने से पैदा फसल की हिस्सेदारी देने का प्रश्न ही नहीं उठता। वादी का यह कथन बिल्कूल ही गलत है कि मूर्ति श्री ठाकुरजी चारभुजा का इन्द्राज गैरसायलान व उनके पूर्वजो के नाम से हो गया। वास्तविक तथ्य यह है कि मूर्ति श्री ठाकुरजी चारभुजा के नाम की गलत प्रविष्टि जमाबंदी में भू धारक के रूप में गलत पर्चा लगान के आधार पर त्रुटि या भूलवश हो गई गैरसायलान को वादग्रस्त भूमि पर कब्जे काशत का कानूनी अधिकार प्राप्त है। मंदिर के नाम की प्रविष्टि इसलिए भी गलत इन्द्राज साबित हो जाता है क्योंकि यह मंदिर गैरसायलान की आराजी से 3 किमी. दूर सेवरिया में स्थित है मंदिर की डोली की जमीन जहां मंदिर स्थित होता है उसी गांव की सरहद में होती है। अन्य जगह नहीं इसलिए सायल को गलत इन्द्राज बताकर और वादग्रस्त भूमि ठाकूर जी चारभूजा की खुदकाशत की बताकर गैरसायलान जो वास्तविक खातेदार काशतकार है उनके नाम की प्रविष्टि राजस्व रेकॉर्ड से हटवाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उल्टे मुर्ति श्री ठाकूरजी चारभूजा के नाम की भू धारक की प्रविष्टि राजस्व रेकॉर्ड से हटवाने का गैरसायलान को अधिकार प्राप्त है। सायल ने गैरसायलान के विरुद्ध घोषणा का प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कानूनन चलने योग्य नहीं होने से खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 4 का जवाब है कि गैरसायलान ने या उनके पूर्वजो ने तथाकथित महन्त जुगतीराम जी व सायल महन्त प्रहलाददास को अपने सम्पूर्ण जीवन में सशरीर न तो देखा है न मिले है। न किसी मंदिर में उन्हे पूजा करते देखा है। सायल प्रहलाद दास को गैरसायलान नहीं पहचानते है न सायल प्रहलाददास गैरसायलान को जानता है। सायल न तो कभी सेवरिया या गुड़ा हेमड़ाई आया न उसे यह ज्ञान है कि गैरसायलान की खातेदारी कब्जे काशत की कृषि भूमि गुड़ा हेमड़ाई में कहां पर स्थित है तो दिनांक 29.04.2001 को रबी की फसल आने पर ठाकुरजी चारभूजा के हिस्से की पैदावार गैरसायलान से मांगने का प्रश्न नहीं उठता। गैरसायलान द्वारा हिस्सा देने से ऐलानिया इंकार करने का भी प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि सायल या मंदिर गैरसायलान की वादग्रस्त कृषि भूमि में ठाकुर जी चारभुजा के खातेदारी अधिकार रहे ही नहीं और गैरसायलान के नाम राजस्व रेकॉर्ड में कृषि भूमि का सही इन्द्राज होने से उनके द्वारा भूमि का कब्ज छोड़कर सायल को सुपुर्द करने का प्रश्न ही नहीं होता, गैरसायलान व उनके पूर्वज वास्तविक खातेदार काशतकार के रूप में कृषि भूमि पर काबिज है। उनको अतिक्रमी कहना

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर,  
द्वैतारण, जिला-पाली

वल्कूल ही नाजायज है। उक्त भूमि पर गैरसायलान का ही हक व अधिकार है सायल को गैरसायलान को उनकी भूमि से बेदखल करवाकर कब्जा लेने का और उनके विरुद्ध बेदखली व कब्जा लेने जमीन का प्रार्थना पत्र पेश करना सायल को कोई हक व कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थना पत्र गलत पेश किया गया है जो कानूनी चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। काल्पनिक विकाय प्रार्थना पत्र के लिये सायल ने प्रार्थना पत्र के इस पद में दावा करने की बदयान्ति से तथ्य रचे है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 का जवाब है कि सायल गैरसायल को उनकी कृषि भूमि से बेदखल करवाकर प्राप्त करने का काशत करने, कराने व संबंधित तमाम कार्य करने का कोई हक नहीं है। गैरसायलान वास्तविक खातेदार काशतकार होने से गैरसायलान को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वे किसी भी व्यक्ति को अपनी जमीन में जबरन प्रवेश करने से रोके सायल को तो नहीं परन्तु बेदखली की स्थिति में गैरसायलान को अवश्य असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकेगी। गैरसायलान को रोजी रोटी व जीवन यापन का जरिया वादग्रस्त आराजी ही है। इसलिए जबरन बेदखली से उनके भूखे मरने की नौबत आयेगी। वादी किसी भी प्रकार से गैरसायलान के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र गलत किया गया है। जो चलने योग्य नहीं होने से खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 6 का जवाब है कि केवल राजस्व रेकॉर्ड में गलत पर्चा लगान के आधार पर जमाबंदी में भू धारक के रूप में सायल के मंदिर के नाम की रोंग एंट्री होने से ही सायल का मजबूत प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं हो जाता, गैरसायलान पूर्वजो से समय से वादग्रस्त आराजी के खातेदार काशतकार कदीमी काबिज होकर आज दिन तक मौके पर काबिज है। सायल के पक्ष में सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू भी साबित नहीं है। बल्कि गैरसायलान की रोजी रोटी व जीवन यापन का एकमात्र आधार वादग्रस्त कृषि भूमि ही है। मूल वाद के निर्णय तक भूमि का कब्जा रीसिवर को दिया जाता है तो गैरसायलान व उनके परिजन को भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। तथा उन्हें असीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं होगी। सुविधा का संतुलन भी गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। प्रार्थना पत्र गलत पेश किया गया है जो खारिज योग्य है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काशतकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रार्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है:-

**(01) प्रथम दृष्टया मामला :-** वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा, बेदखली एवं कब्जा जमीन अन्तर्गत धारा 88, 188 एवं 183 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 बाबत् वादपत्र प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा एवं रिसीवर नियुक्त करने बाबत् प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212(2) राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 एवं आदेश 40 नियम 01 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम गुड़ा हेमड़ाई तहसील



उपखण्ड अधिकारी एवं  
प्रदेन सहायक कलक्टर,  
जैतारण, जिला-पाली

तारण में स्थित खसरा नम्बर 1658 रकबा 04-07 बीघा, खसरा नम्बर 1659 रकबा 03-16 बीघा, खसरा नम्बर 1660 रकबा 10-13 बीघा, खसरा नम्बर 699/5 रकबा 10-11 बीघा, व खसरा नम्बर 1657 रकबा 00-15 बीघा किरमोरमुमकिन कुल खसरा नम्बर 5 कुल रकबा 30-07 बीघा भूमि बेरा व जाव मूर्ति भगवान श्री ठाकुर जी चारभुजा जी की खातेदारी एवं कब्जे काशत की भूमि है। मूर्ति भगवान श्री ठाकुरजी चारभुजाजी का मंदिर एवं मूर्ति तहसील जैतारण के ग्राम सेवरिया में स्थित एवं प्रतिस्थापित है जो शाश्वत नाबालिग है। अप्रार्थीगण का उक्त भूमि में कोई अधिकार निहित नहीं है। तत्कालीन पुजारी व महन्त श्री जुगतीरामजी चैला अमरदासजी ने अप्रार्थी मंगला, भागु, छोगा, हीरा व धन्ना गुर्जर निवासी गुड़ा हेमड़ाई को उक्त भूमि मंदिर की ओर से हिस्से व काशत पर दी थी, जिसका प्रतिवर्ष हिस्सा व रकम ठाकुरजी चारभुजाजी के भोगदीप सेवा के लिए देते रहे हैं। इस दौरान राजस्व रेकर्ड में गलती से मूर्ति श्री ठाकुरजी चारभुजाजी की जमीन का अप्रार्थीगण व उनके पूर्वजों के नाम इन्द्राज हो गया। जिसकी दुरुस्ती, खातेदारी अधिकारों की घोषणा व अप्रार्थीगण की बेदखली करवाने का प्रार्थी पूर्ण रूप से अधिकारी है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी पर बतौर अतिक्रमी काबिज है तथा भूमि अभिलेख में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के आधार पर उक्त आराजी का रहन बैचान हस्तान्तरण आदि किये जाने की प्रबल आशंका है। तथा मौके पर भूमि को खुर्द बुर्द किए जाने की संभावना है जिन्हे रूकवाने का प्रार्थी अधिकारी है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निहित है।

अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुए कथन किया कि ग्राम सेवरिया स्थित ठाकुरजी चारभुजाजी मन्दिर ग्राम गुड़ा हेमड़ाई से करीबन 10 किलोमीटर दूर है। प्रार्थी या तथाकथित महन्त जुगतीराम को उक्त मंदिर की सेवा अर्चना करते हमने कभी नहीं देखा। वादग्रस्त आराजी कभी भी मूर्ति श्री ठाकुरजी चारभुजाजी के खातेदारी व कब्जेकाशत की नहीं रही। वादग्रस्त आराजी राजा रजवाड़ो के समय से अप्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजों के कब्जे काशत में रही है तथा भू अभिलेख में कोई रोंग एन्ट्री नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निहित नहीं होता है।

वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख जमाबंदी संवत् 2056 से 2059 ग्राम गुड़ा हेमड़ाई के अनुसार वादग्रस्त आराजी के भू धारक के रूप में डोली बनाम मन्दिर श्री चारभुजाजी तथा कॉलम संख्या 04 में काशतकार के रूप में गिरधारी उदा वल्द मंगला, भंवरु वल्द भागु, एवं अन्य अप्रार्थीगण/अप्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज है। वहीं वर्तमान जमाबंदी संवत् 2077 में डोली बनाम मन्दिर श्री चारभुजाजी वाके देह के साथ छोटू बलदेव भीया नैना पि. गिरधारी, गलकू पत्नी गिरधारी, हरी काना सीतू पपू पि. उदा, राजी पत्नी उदा, भंवरु पुत्र भागु, नौरत प्रहलाद पांचू छोटू पि. हरदेव, श्रवणी पि. हरदेव, रुगनाथ काना गोपाल पि. रामसुख, होनी पत्नी रामसुख हरदेव पुत्र छोगा, किशना पि. छोगा, मांगू पि. छोगा, हैसुवादेवी पत्नी हेमाराम, रतनी पि. हेमाराम, रामा पि. हीरा, अबा पि. हीरा, मेवा पि. धना, जीवणी पत्नी धन्ना कौम गुजर सा. देह काशतकार हिस्सा पूर्ण खातेदार दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भू प्रबन्ध पश्चात से डोली बनाम मन्दिर श्री चारभुजाजी वादग्रस्त आराजी के भू धारक दर्ज रहे हैं लेकिन

उपखण्ड अधिकारी,  
पदेन सहायक कलक्टर,  
जैतारण, जिला-पाली

लिक अप्रार्थीगण के पूर्वज उक्त आराजी काशतकार के रूप में दर्ज रहे है। अतः कौन १ प्रविष्टियां विधिसंगत है एवं कौनसी त्रुटिपूर्ण है? साथ ही वादी वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने एवं अप्रार्थीगण को बेदखल करवाने के अधिकारी या नही, यह वादपत्र के विस्तृत साक्ष्य का विषय है। चूंकि अप्रार्थीगण या इनके पूर्वज वादग्रस्त आराजी पर भू प्रबन्ध से ही बतौर काशतकार दर्ज रहे है अतः वादग्रस्त आराजी को रिसीवर किए जाने के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है। बल्कि भू अभिलेखीय प्रविष्टियों के आधार पर किसी प्रकार का अन्तरण आदि होने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है, जबकि वादी द्वारा भू अभिलेखीय प्रविष्टियो को चुनौती दी है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित होने से यह बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

**(02) सुविधा का संतुलन :-** चूंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित हुआ है, साथ ही क्योकि प्रार्थी मन्दिर श्री चारभुजाजी जो कि शाश्वत नाबालिग है की ओर से शाश्वत नाबालिग के हितो के संरक्षण हेतू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ है तथा प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी की भू अभिलेखीय प्रविष्टियो को चुनौती दी है, भू प्रबन्ध से डोली बनाम मन्दिर श्री चारभुजाजी बतौर भू धारक भू अभिलेख में दर्ज है। मन्दिर मुर्ति शाश्वत नाबालिग माने जाते है तथा शाश्वत नाबालिग की सम्पति पर कब्जा काशत एवं उपयोग उपभोग शाश्वत नाबालिग द्वारा किया जाना ही माना जाता है। लिहाजा सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से यह बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

**(03) अपूर्णिय क्षति :-** चूंकि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में निर्णित हुआ है, साथ ही प्रार्थी शाश्वत नाबालिग द्वारा वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकारो की घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरुस्ती की मांग करते हुए वर्तमान भू अभिलेखीय प्रविष्टियो को त्रुटिपूर्ण मानकर इन्हे चुनौती दी है। अतः वादपत्र के मुख्य अनुतोष पर गुणावगुण के आधार पर कोई टिप्पणी किए बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अप्रार्थीगण द्वारा भू अभिलेखीय प्रविष्टियो के आधार पर यदि वादग्रस्त आराजी का अन्तरण आदि कर दिया जाता है जिसकी की पूर्ण संभावना है तो न केवल वादपत्र में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होगी बल्कि यदि वादपत्र वादी के पक्ष में डिक्री होता है तो ऐसी स्थिति में अन्तरण आदि संक्रियाओ से वादी को अपूर्णिय क्षति होने की प्रबल आंशका है। अतः यह बिन्दू बखूबी साबित होने से प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।


अतः उपर्युक्त बिंदुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि भू प्रबन्ध से प्रार्थी डोली बनाम मन्दिर श्री चारभुजाजी वादग्रस्त आराजी के भू धारक के रूप में एवं अप्रार्थीगण एवं इनके पूर्वज काशतकार के रूप में दर्ज रहे है अतः वादग्रस्त आराजी को इस स्तर पर कुर्क किया जाकर रिसीवर नियुक्त करना विधिसंगत एवं उचित नही होगा, अलबता अप्रार्थीगण को ताफैसलावाद वादग्रस्त आराजी का रहन, बैचान, हस्तान्तरण नही करने व वर्तमान भू अभिलेख में परिवर्तन नही करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।




उपर्युक्त अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर,  
जंतारण, जिला-पाली

### -: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत पारा 212(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं आदेश 40 नियम 01 व्यवहार प्रक्रिया संहिता बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा एवं रिसीवर नियुक्त करने बाबत् आंशिक रूप से साबित होने एवं सारवान होने से आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी को कुर्क किया जाकर रिसीवर नियुक्त किए जाने की प्रार्थी की प्रार्थना नासाबित होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ताफैसलावाद वादग्रस्त आराजी राजस्व मोजा गुड़ा हेमड़ाई पटवार हल्का सेवरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील- जैतारण जिला- पाली (राजस्थान) में स्थित खसरा नम्बर 1658 रकबा 04-07 बीघा, खसरा नम्बर 1659 रकबा 03-16 बीघा, खसरा नम्बर 1660 रकबा 10-13 बीघा, खसरा नम्बर 1699/5 रकबा 10-11 बीघा, व खसरा नम्बर 1657 रकबा 00-15 बीघा किस्म गैरमुमकिन कुल खसरा नम्बर 5 कुल रकबा 30-07 बीघा के वर्तमान भू अभिलेख में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नही करे, रहन, बैचान हस्तान्तरण आदि नही करे। पत्रावली इसी निमित्त निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दांखिल दफ्तर हो।

  
सहायक कलेक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण  
जैतारण (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनांक 30/08/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

  
सहायक कलेक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण  
जैतारण (जिला-पाली)

